न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/157

1. नन्द सिंह आत्मज छगन सिंह जी ।
2. विष्णु कंवर पुत्री छगन सिंह जी ।
3. रमेश कंवर पुत्री छगन सिंह जी ।
4. गेंद कंवर पुत्री छगन सिंह जी ।
5. कमलेश कंवर पुत्री छगन सिंह जी जाति राजपूत निवीस ग्राम बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह आत्मज बहादुर सिंह जी ।
2. ईश्वर सिंह आत्मज बहादुर सिंह जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. लाली कंवर बेवा ईश्वर सिंह जी ।
   2/2. निशा हाडा पुत्री ईश्वर सिंह जी नाबालिग जरिये वली माता लाली कंवर बाई ।
3. कमला कंवर बेवा बहादुर सिंह जी ।
4. भंवर बाई पुत्री बहादुर सिंह जी जाति राजपूत निवासीगण बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोड

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दिनेश सिंह सिसोदिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

दिनांक: 02.07.20

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्याया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित नि दिनांक 12.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 462 रकबा 2.24 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण की माता व अप्रार्थीगण की दादी सम्पत कंवर पत्नी छगन सिंह जी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । प्रार्थीगण की दादी सम्पत कंवर का स्वर्गवास हो गया उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण सम्पत कंवर के वारिसान होने से उनकी आराजी के एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं । प्रार्थीगण की सम्पत कंवर माता हैं तथा प्रथम श्रेण की वारिस होने से प्रार्थीगण का 5/6 हिस्सा उक्त आराजी में निहित है तथा शेष 1/6 हिस्सा अप्रार्थीगण का है और उसी अनुसार काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ जाने के कारण अप्रार्थीगण को अपने हिस्से से वंचित करने के ध्येय से अप्रार्थीगण के साथ मिलकर सम्पूर्ण आराजी को स्वयं के नाम दर्ज करवाने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति रखी जावे किसी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं किया जावे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.05.2014 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2014 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । प्रकरण में मृतक सम्पत कंवर बेवा छगन सिंह की आराजी का विवाद है । पक्षकारान सम्पत कंवर के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं । पक्षकारान के बीच विधिक उत्तराधिकारी व वसीयत को लेकर विवाद है। प्रार्थना पत्र में ताफैसला वाद रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की सहायता चाही गई है वर्तमान में उक्त आराजी सम्पत कंवर के नाम दर्ज है । विधिक उत्तराधिकारी के आधार पर इंतकाल खोला जाता है तो रेस्पोडेन्ट को आपत्ति व परेशानी होगी और वसीयत से इंतकाल खोला जाता है तो अपीलान्ट को आपत्ति होगी । वसीयत के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वार पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराय और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को त्रुटिपूर्ण रूप खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी सम्पत कंवर के खाते की थी । पक्षकार प्रथम श्रेणी

वारिस हैं । पक्षकारों के मध्य विधिक उत्तराधिकार एवं वसीयत को लेकर विवाद है । ऐसी स्थिति में ताफैसला दावा रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखना आवश्यक है । वसीयत के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है । वसीयत का सिद्ध होना भी बाकी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रतन सिंह के खाते में दर्ज थी । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी नहीं है वरन् रतन सिंह के खाते में थी । रतन सिंह परिवार के शजरे में नहीं थे, रतन सिंह ने वसीयत सम्पत कंवर के नाम की थी और सम्पत कंवर ने वसीयत ईश्वर और राजेन्द्र सिंह के नाम की है । सम्पत कंवर का ऋण रेस्पोडेन्टगण ने चुकाया है । अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई हित–निहित नहीं है और न ही उनका कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 खाता संख्या 304 नया संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 2.24 हैक्टर सम्पत कंवर के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2032–35 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 91 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा रतन सिंह के खाते में दर्ज है । एक वसीयत की फोटो प्रति संलग्न है जो रतन सिंह ने सम्पत कंवर के नाम निष्पादित की जो उप पंजीयन कार्यालय कोटा द्वारा पंजीबद्ध है । एक अन्य वसीयत की फोटो संलग्न है जो सम्पत सिंह के द्वारा ईश्वर सिंह एवं राजेन्द्र सिंह के पक्ष में निष्पादित की गई है । पत्रावली पर एक ओरियन्टल बैंक ऑफ कोमर्स का पत्र संलग्न है जिसमें उप पंजीयक को सूचित किया गया है कि सम्पत कंवर द्वारा वादग्रस्त आराजी पर लिये गये ऋण की राशि का समायोजन हो चुका है ।

10. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेज संलग्न हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रतन सिंह के खाते से वसीयत के आधार पर सम्पत कंवर के खाते दर्ज हुई है और सम्पत कंवर ने वसीयत रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में निष्पादित की है । अपीलान्टगण सम्पतकंवर के वारिस हैं और उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने अधिकार बताते हुए घोषणा का दावा पेश किया है जिसमें यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

11. पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल वाद में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । वसीयत मूल दावे में साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होगी । यदि वसीयत प्रमाणित होती है तो वादग्रस्त आराजी वसीयत के अनुसार रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज होगी और यदि वसीयत प्रमाणित नहीं होती है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय होंगे ।

12. इन तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के दावे के निर्णय तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

14. निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा